दिनांक–27.10.18 को जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में कार्यपालक सहायक के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु आयोजित जिला चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

<u>उपस्थिति</u>

1. जिला पदाधिकारी, जमुई।
2. उप विकास आयुक्त, जमुई।
3. अपर समाहर्त्ता, जमुई।
4. स्थापना उप समाहर्त्ता, जमुई।
5. जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, जमुई।
6. जिला अल्प संख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई

2. सर्वप्रथम उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात स्थापना उप समाहर्त्ता, जमुई के द्वारा बताया गया कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0 / विविध–15 / 2010 (खण्ड–2)सो0, 910, दिनांक 02.07.2018 के आलोक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने एवं जिले के अन्य कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पैनल तैयार करने के लिए प्रकाशित विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त आवेदनों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों की दिनांक 14.10.2018 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच कार्य **दिनांक 22.10.2018 को** पूर्ण करने के पश्चात आरक्षण कोटि के अनुसार कट–ऑफ–मार्क्स के आधार पर परीक्षाफल दिनांक–24.10.2018 को जिला के अधिकारिक वेबसाईट https://jamui.nic.in पर प्रकाशित / प्रदर्शित कर दिया गया है।

प्रदर्शित परीक्षाफल में प्रदान किये गये अंक के संबंध में दिनांक–26.10.2018 तक अभ्यर्थियों से दावा–आपत्ति की मांग की गयी, जिसके आलोक में कुल 394 आवेदन प्राप्त हुए।

दावा–आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श करने के पश्चात निम्न निर्णय लिया गया है।

1. उत्तर पुस्तिका का पुनः जॉच हेतु प्राप्त 352 आवेदन के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा उत्तर पुस्तिका का पुनः जॉच के संबंध में कोई ठोस प्रमाण या कारण अथवा उत्तर नहीं दिया गया। इसलिए समिति के द्वारा सर्वसम्मति से सभी प्राप्त 352 आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

2. स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी के आरक्षण के संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अन्तिम चयन के समय इस पर नियमानुसार लाभ दिया जायेगा।

दिव्यांगों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2018 में संविदा पर कार्यपालक सहायक का नियोजन हेतु 500 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाना है। लिखित परीक्षा के पश्चात कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट(दक्षता परीक्षा) के लिए कुल 2134 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसमें 41 दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नियोजन के समय दिव्यांग कोटि से निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अभ्यर्थियों को लिया जायेगा।

3. परीक्षाफल में महिला अभ्यर्थियों के नाम के सामने Male हो जाने एवं उसके स्थान पर Female करने हेतु प्राप्त निम्नांकित 04 आवेदनों पर विचार करते हुए Male के स्थान पर

Female करने का निर्णय लेते हुए दिनांक 03.11.2018 को कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट(दक्षता परीक्षा) के लिए चयनित/बुलाने का निर्णय लिया गया।

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	आई0डी0 सं0
1	2	3
1	रिंकु कुमारी	EXA/238014198
2	शबाना प्रवीण	EXA/238001603
3	श्वेता कुमारी	EXA/238001091
4	निशा कुमारी	EXA/238013519

4. परीक्षाफल में जाति गलत अंकित हो जाने के संबंध में 08 आवेदन प्राप्त हुआ, जिस पर समिति के द्वारा विचार करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों के नाम सामने स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः—

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	आई0डी0 सं0	परीक्षाफल में अंकित जाति	अभ्यर्थी का मूल जाति	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	नम्रता भारती	EXA/238005095	BC	EBC	जाति सुधार करने का निर्णय लिया गया।
2	राजू रंजन यादव	EXA/238013969	EBC	BC	जाति सुधार करने का निर्णय लिया गया।
3	तनुजा कुमारी	EXA/238011466	EBC	BC	जाति सुधार करने का निर्णय लिया गया।
4	रूपा कुमारी	EXA/238009062	BC	EBC	जाति सुधार करने का निर्णय लिया गया।
5	प्रियंका कुमारी	EXA/238005183	GEN	EBC	आवेदिका के द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन करते हुए परीक्षा दिया गया। समिति के द्वारा दावा—आपत्ति हेतु दिये गये आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि सामान्य जाति में कोई भी आवेदन कर सकता है।

6	निशु कुमारी	EXA/238002423	EBC	BC	जाति सुधार करने का निर्णय लिया गया।
7	विनय कुमार विरू	EXA/238001257	BC	GEN	आवेदक के द्वारा पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में आवेदन करते हुए परीक्षा दिया गया। समिति के द्वारा दावा–आपत्ति हेतु दिये गये आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि आवेदक सामान्य जाति का है तथा परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स 37 से कम 36 अंक लाया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट(दक्षता परीक्षा) में शामिल नहीं होगा।
8	लालजीत कुमार	EXA/238010247	EBC	BC	जाति सुधार करने का निर्णय लिया गया।

5. परीक्षाफल में अनुपस्थित दिखाये जाने एवं शून्य अंक प्रदान के कारण 06 आवेदन प्राप्त हुआ, जिस पर समिति के द्वारा निर्णय लेते हुए दिनांक 03.11.2018 को कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट(दक्षता परीक्षा) के लिए चयनित/बुलाने का निर्णय लिया गया।

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	आई0डी0 सं0	आरक्षण कोटि	परीक्षाफल में अंकित प्राप्तांक	जॉच के पश्चात प्राप्तांक	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	वरूण कुमार	EXA/238012696	SC	Absent	25	दावा–आपत्ति अस्वीकृत। जॉच के क्रम में पाया गया कि अभ्यर्थी वरूण कुमार के द्वारा अपने आई0डी0 क्रमांक EXA/238012696 के स्थान पर

b

						उत्तरपुस्तिका में क्र0 EXA/238012693 अंकित कर दिया था, जिस कारण उनके परिणाम पर विचार नहीं किया गया। उत्तर पुस्तिका में आई डी0 क्रमांक को सुधारा गया और पाया गया कि उन्हें 25 अंक प्राप्त हुआ। एस0सी0 के कट ऑफ मार्क्स 31 है जबकि अभ्यर्थी के द्वारा उससे कम प्राप्तांक लाया गया।
2	अर्पिता कुमारी	EXA/238013600	GEN	Absent	27	दावा–आपत्ति अस्वीकृत। जॉच के क्रम में पाया गया कि अभ्यर्थी अर्पिता कुमारी के द्वारा अपने आई0डी0 क्रमांक EXA/238013600 के स्थान पर उत्तरपुस्तिका में क्र0 3600 अंकित कर दिया था, जिस कारण उनके परिणाम पर विचार नहीं किया गया था। उत्तर पुस्तिका में आई डी0 क्रमांक को सुधारा गया और पाया गया कि उन्हें 27 अंक प्राप्त हुआ। सामान्य महिला का कट ऑफ मार्क्स 28 है जबकि अभ्यर्थी के द्वारा उससे कम प्राप्तांक लाया गया है।
3	कविता कुमारी	EXA/238013951	BC	Absent	29	दावा–आपत्ति स्वीकृत। बी0सी0 महिला के कट ऑफ

						मार्क्स 18 है जबकि अभ्यर्थी के द्वारा उससे ज्यादा प्राप्तांक लाया गया।
4	जागृति कुमारी	EXA/238013912	EBC	Absent	26	दावा–आपत्ति स्वीकृत। ई0बी0सी0 महिला के कट ऑफ मार्क्स 22 है जबकि अभ्यर्थी के द्वारा उससे ज्यादा प्राप्तांक लाया गया।
5	आनन्द कुमार चंद्रवंशी	EXA/238005335	EBC	Present	23	दावा अस्वीकृत। ई0बी0सी0 के कट ऑफ मार्क्स 34 है, जबकि अभ्यर्थी के द्वारा उससे कम प्राप्तांक लाया गया।
		EXA/238005152	EBC	Absent		जॉच के क्रम में पाया गया कि श्री आनन्द कुमार चंद्रवंशी के द्वारा दो आवेदन पत्र ऑन लाईन भरे गये थे। पहला EXA/238005152 जिसमें वो अनुपस्थित रहे। दूसरा EXA/238005335 जिसमें वो उपस्थित होकर परीक्षा दिये और निर्धारित कट ऑफ मार्क्स 34 से कम अंक प्राप्त किया गया, जिस कारण उनका दावा–आपत्ति अस्वीकृत किया गया ।
6	कुमार विवेकानुज	EXA/238000969	EBC	0		जॉच के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा उत्तरपुस्तिका में दिये गये निदेशों के आलोक में सही उत्तर के सामने गोल आकार को रंगना था,

						परन्तु अभ्यर्थी के द्वारा नहीं रंगा गया और निदेश के विपरीत सही का निशान लगाया गया, जिस कारण समिति के द्वारा इनका दावा–आपत्ति को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

समिति के द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कविता कुमारी EXA/238013951 एवं जागृति कुमारी EXA/238013912 को कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट(दक्षता परीक्षा) के लिए चयनित/बुलाने का निर्णय लिया गया।

6. अनुसूचित जन जाति के महिलाओं को आरक्षण कोटि के अनुसार कट–ऑफ–मार्क्स के आधार पर आरक्षण देने संबंधी प्राप्त 02 आवेदन के संबंध में समिति के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण रोस्टर में महिला के लिए कोई बिन्दु निर्धारित नहीं है। इसलिए प्राप्त 02 आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

7. परीक्षाफल में अभ्यर्थियों के नाम एवं उसके पिता तथा जन्म तिथि में सुधार हेतु प्राप्त निम्नांकित 06 आवेदनों पर विचार करते हुए नाम एवं जन्म तिथि में सुधार करन का निर्णय लिया गयाः–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	आई0डी0 सं0	परीक्षाफल में अंकित नाम/जन्म तिथि	जॉच के पश्चात नाम/जन्म तिथि में सुधार	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	खुशबु कुमारी	EXA/238003554	Khusbu Kumari	Khushbu Kumari	नाम सुधार करने का निर्णय लिया गया।
2	सुबोध कुमार साह	EXA/238005575	पिता का नाम–राम कुमार सिंह	पिता का नाम–राम कुमार साह	पिता के नाम में सुधार करने का निर्णय लिया गया।
3	श्वेता कुमार मंडल	EXA/238005099	पिता का नाम श्वेता कुमारी मंडल	पिता का नाम–सुनील कुमार मंडल	पिता के नाम में सुधार करने का निर्णय लिया गया।
4	मनीष कुमार सिन्हा	EXA/238005741	1. मनीष कुमार 2. नागेश्वर	1. मनीष कुमार सिन्हा 2. नागेश्वर	नाम एवं पिता के नाम में सुधार करने का निर्णय लिया

			प्रसन्द सिन्हा	प्रसाद सिन्हा	गया।
5	कुमारी रश्मि सिन्हा	EXA/238005753	कुमारी रेश्मि सिन्हा	कुमारी रश्मि सिन्हा	नाम सुधार करने का निर्णय लिया गया।
6	अंजलि कुमारी	EXA/238005668	जन्म तिथि 07.03.1998	जन्म तिथि 07.04.1998	जन्म तिथि में सुधार करने का निर्णय लिया गया।

8. परीक्षाफल में दावा–आपत्ति हेतु बिना हस्ताक्षर के 08 आवेदन प्राप्त हुए, जिसे समिति द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

27/10/18

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

ज्ञापांक– 575 /स्था0, दिनांक– 27.10.2018

प्रतिलिपिः– जिला चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/10/18

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

ज्ञापांक– 575 /स्था0, दिनांक– 27.10.2018

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जमुई को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/10/18

जिला पदाधिकारी,
जमुई।